



हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड, धर्मशाला-176213

Himachal Pradesh Board of School Education, Dharamshala-176213

क्रमांक:- हि0शि0बो0 (18) पुनर्मूल्यांकन / मार्च, 2025 76553 - 76564

दिनांक:- 21-03-2025

“अधिसूचना”

हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड अधिनियम 1968 की धारा 19(3) में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए माननीय अध्यक्ष, हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड द्वारा दसवीं व जमा दो (नियमित) तथा राज्य मुक्त विद्यालय (SOS) आठवीं, दसवीं, जमा दो व डी0ई0एल0ई0डी0 के परीक्षार्थियों के पुनर्मूल्यांकन व पुनर्निरीक्षण के शुल्क में बढौतरी हेतु सहर्ष आदेश प्रदान किए हैं, ब्यौरा निम्न प्रकार से है :-

Existing Fees	Approved Fees	Class
Re-evaluation 500/- per Answerbook/ subject	Re-evaluation 1000/- per Answerbook/ subject	10 th (Regular), 10+2(Regular), SOS 10 th , SOS 10+2 & D.EL.Ed.
Re-checking 400/- per Answerbook/ subject	Re-checking 800/- per Answerbook/ subject	10 th (Regular), 10+2(Regular), SOS 8 th , SOS 10 th , SOS 10+2, Special Improvement (10 th & 10+2) & D.EL.Ed.

उपरोक्त निर्धारित शुल्क मार्च, 2025 व तदोपरान्त कार्यालय द्वारा संचालित करवाई जाने वाली परीक्षाओं के लिए प्रभावी/लागू होंगे।

डा0 (मेजर) विशाल शर्मा (हि0प्र0से0)
सचिव

पृष्ठांकन संख्या यथोपरि

उपरोक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ व आगामी आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है जी।

1. सचिव (शिक्षा) हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला।
2. निदेशक (उच्चतर शिक्षा/प्रारम्भिक शिक्षा) हिमाचल प्रदेश शिमला।
3. निजी सहायक, माननीय अध्यक्ष/सचिव हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड।
4. अतिरिक्त/संयुक्त सचिव, हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड।
5. उपनियन्त्रक, वित्त एवं लेखा/ सहायक नियन्त्रक, लेखा परीक्षा, हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड।
6. समस्त उप सचिव/सहायक सचिव/अनुभाग अधिकारी, हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड।
7. समस्त जिला प्रबन्धक/प्रभारी, हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड, पुस्तक वितरण, सूचना एवं मार्गदर्शन केन्द्र।
8. समस्त अनुभाग अधिकारी, परीक्षा शाखा(मैट्रिक/जमा दो) को इस आशय सहित की वे अधिसूचना के संदर्भ में समस्त विद्यालय प्रमुखों को अवगत करवाएंगे।
9. प्रभारी,, IT Cell को अधिसूचना की प्रति बोर्ड की वेबसाइट व विद्यालयों की User- ID में अपलोड करने बारे।
10. अनुभाग अधिकारी, सामान्य शाखा को इस निर्देश से प्रेषित है कि जारी अधिसूचना को बोर्ड की आगामी बैठक में सम्पुष्टि हेतु प्रस्तुत करेंगे।
11. लोक सम्पर्क अधिकारी कार्यालय, हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
12. रक्षक सचिका।

डा0 (मेजर) विशाल शर्मा (हि0प्र0से0)
सचिव